मेडिकेयर (Medicare) और मेडिकएड (Medicaid)

लकवे के साथ जी रहे लाखों-करोड़ों लोग संघीय और राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित मेडिकेयर और मेडिकएड कार्यक्रमों के ज़रिए स्वास्थ्य बीमा के पात्र हैं।

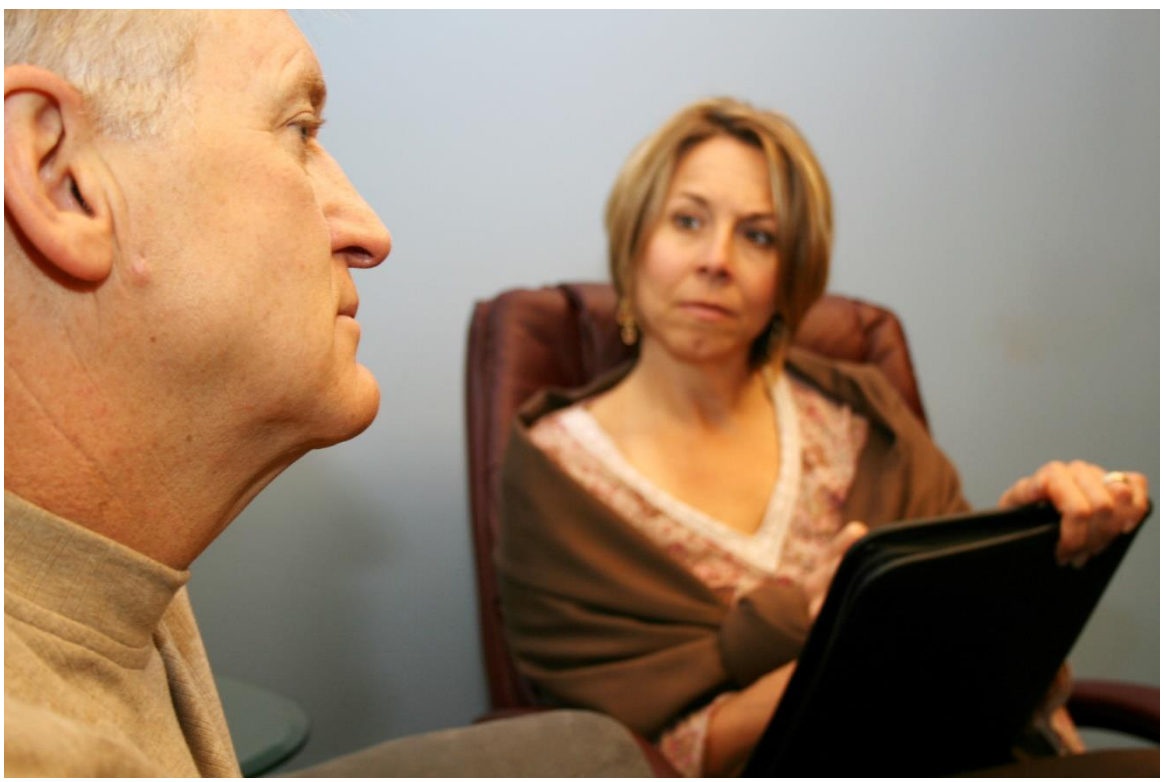

प्र: मेडिकेयर (Medicare) क्या है?

मेडिकेयर 65 से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए; अशक्तताओं के साथ जी रहे किसी भी उम्र के ऐसे लोगों के लिए जिन्हें 24 माह तक अशक्तता लाभ मिल चुके हैं; और अंत अवस्था गुर्दा रोग (एंड स्टेज रीनल डिसीज़, ESRD) या एमायोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस (ALS) से ग्रस्त लोगों के लिए संघीय सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा प्लान है।

ESRD से ग्रस्त लोग आम तौर पर नियमित डायलिसिस का कोर्स शुरू हो जाने या गुर्दा ट्रांसप्लांट से तीन महीने बाद मेडिकेयर के पात्र हो जाते हैं; ALS से ग्रस्त लोग सामाजिक सुरक्षा अशक्तता (सोशल सिक्यॉरिटी डिसेबिलिटी) लाभ मिलते ही तुरंत पात्र हो जाते हैं।

प्र: मेडिकेयर के मुख्य भाग क्या हैं?

मेडिकेयर भाग A और भाग B - जिन्हें "ओरिजिनल मेडिकेयर" भी कहते हैं - इस कवरेज के मुख्य चरण हैं।

भाग A भर्ती-रोगी (इनपेशेंट) अस्पताल देखभाल और कुशल नर्सिंग सुविधाओं, आश्रम (होस्पाइस) देखभाल और कुछ गृह स्वास्थ्य देखभाल को कवर करता है।

भाग B उन सेवाओं और आपूर्तियों को कवर करता है जिन्हें चिकित्सीय दृष्टि से आवश्यक माना गया है, जैसे बिना-भर्ती-रोगी (आउटपेशेंट) अस्पताल देखभाल, भौतिक और व्यावसायिक चिकित्सक, टिकाऊ मेडिकल उपकरण, एंबुलेंस सेवाएँ और निरोधक देखभाल जिसमें बड़ी आँत और मलाशय की स्क्रीनिंग और वार्षिक मैमोग्राम शामिल हैं।

प्र: मेडिकेयर एडवांटेज (Medicare Advantage) क्या है?

मेडिकेयर एडवांटेज, ओरिजिनल मेडिकेयर का एक विकल्प है जो निजी स्वास्थ्य बीमा प्लानों के ज़रिए लाभ प्रदान करता है। इन प्लानों में घटे हुए प्रीमियम, डिडक्टिबल (कटौती योग्य राशि) और को-इंश्योरेंस (सह-बीमा) भुगतान मिल सकते हैं और इनमें भाग D प्रेस्क्रिप्शन दवाओं की कवरेज शामिल होती है, पर इसमें रोगियों के लिए आम तौर पर कुछ प्रदाताओं से ही सेवाएँ लेना आवश्यक होता है।

प्र: मेडिकेयर (Medicare) भाग D क्या है?

मेडिकेयर भाग D एक वैकल्पिक स्वतंत्र प्रेस्क्रिप्शन दवा कार्यक्रम है जो मेडिकेयर लाभार्थियों के लिए निजी बीमा कंपनियों द्वारा संचालित और सरकारी स्वीकृति प्राप्त कई कवरेज प्लान पेश करता है।

भाग D में नामांकन वैकल्पिक है, पर यदि आप मेडिकेयर के लिए पहली बार पात्र होने पर इस प्लान में शामिल नहीं होना चुनते हैं, और आपके भूतपूर्व नियोक्ता या श्रमिक संघ की ओर से तुलनीय कवरेज के बिना आपको 63 दिन से अधिक समय हो जाता है, तो आप जितने महीने रुके हैं उतने महीनों के लिए आपसे 1% प्रति माह की दर से विलंब शुल्क लिया जाएगा।

मेडिकेयर भाग D के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया राष्ट्रीय पक्षाघात संसाधन केंद्र की वेबसाइट https://www.christopherreeve.org/wp-content/uploads/2024/01/Medicare-Part-D-QA-1-24-A.pdf पर जाएँ।

प्र: मुझे मेडिकेयर के लिए क्या भुगतान करना होगा?

मेडिकेयर भाग B की भुगतान दरें हर वर्ष बदलती हैं। 2024 में मेडिकेयर भाग B का मानक मासिक प्रीमियम $174.70 था जो 2025 में $10.30 बढ़कर $185.00 हो गया है। 2024 में मेडिकेयर भाग B के सभी लाभार्थियों के लिए वार्षिक कटौती-योग्य-राशि (एनुअल डिडक्टिबल) $240 थी जो 2025 में $17 बढ़कर $257 हो गई है।

प्र: मैं मेडिकेयर में नामांकन कैसे करूँ?

अशक्तताओं से ग्रस्त ऐसे व्यक्ति जिन्हें 24 माह तक सामाजिक सुरक्षा लाभ (सोशल सिक्यॉरिटी बेनिफ़िट) मिल चुके हैं वे मेडिकेयर भाग A और B में अपने-आप ही नामांकित कर दिए जाएँगे और उन्हें उनका सदस्यता कार्ड डाक से मिल जाएगा; हालाँकि, यदि यह कार्ड समय से न पहुँचे तो अपने स्थानीय सोशल सिक्यॉरिटी ऑफ़िस से संपर्क करें या 800-772-1213 पर कॉल करें। आपको ऑफ़िस में जाकर मुलाकात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा; अपना स्थानीय ऑफ़िस SSA की वेबसाइट https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp पर खोजें।

प्र: मेडिकएड (Medicaid) क्या है?

मेडिकएड एक स्वास्थ्य बीमा प्लान है जो कम आय वाले वयस्कों, बच्चों और अशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों को कवरेज देता है। संघीय सरकार और राज्य सरकार संयुक्त रूप से इसका वित्तपोषण करती हैं; इसलिए, पात्रता आवश्यकताएँ, कवरेज का दायरा और लागतें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होते हैं।

प्र: मेडिकएड कवरेज में आम तौर पर क्या-कुछ शामिल होता है?

हर राज्य के लिए अनिवार्य की गई मेडिकएड कवरेज में फिज़ीशियन द्वारा देखभाल, भर्ती-रोगी (इनपेशेंट)

और बिना-भर्ती-रोगी (आउटपेशेंट) अस्पताल सेवाएँ, लैबोरेटरी और एक्स-रे सेवाएँ तथा गृह स्वास्थ्य सेवाएँ शामिल हैं। राज्य विशेष के प्लानों के आधार पर, प्रेस्क्रिप्शन दवाओं की कवरेज, भौतिक और व्यावसायिक चिकित्सा, दंत सेवाएँ और मेडिकल उपकरण भी शामिल हो सकते हैं।

प्र: क्या मेडिकएड और मेडिकेयर, दोनों में मेरा नामांकन हो सकता है?

हाँ। अशक्तताओं से ग्रस्त बहुत से लोग मेडिकेयर और मेडिकएड में नामांकित हैं। मेडिकएड ऐसी सेवाएँ कवर कर सकती है जो मेडिकेयर नहीं करती, जैसे दीर्घकालिक देखभाल और सहायताएँ, दंत, दृष्टि और श्रवण सेवाएँ।

प्र: यदि मेरी मेडिकेयर कवरेज अस्वीकार हो जाए तो मैं क्या करूँ?

मेडिकेयर को किसी निदान विशेष (लकवा शामिल) के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए या किसी स्थिति में सुधार होने की योग्यता के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अन्य शब्दों में, स्वीकृति के निर्णय में केवल इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या व्यक्ति को किसी पेशेवर द्वारा या उसकी देखरेख में कुशल नर्सिंग या चिकित्सा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है; यदि उत्तर हाँ है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सुधार या कार्यक्षमता में वृद्धि की संभावना है या नहीं।

यदि आप कवरेज या भुगतान के किसी निर्णय से असहमत हैं तो आप अपील दायर कर सकते हैं। ओरिजिनल मेडिकेयर, मेडिकेयर एडवांटेज और दवा प्रेस्क्रिप्शन के निर्णयों के विरुद्ध अपील कैसे करें इस बारे में और जानकारी के लिए, मेडिकेयर की वेबसाइट https://www.medicare.gov/providers-services/claims-appeals-complaints/appeals पर जाएँ।

राज्य स्वास्थ्य बीमा सहायता कार्यक्रम (स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस असिस्टेंस प्रोग्राम, SHIP), जिन्हें मेडिकेयर वाले लोगों को मुफ़्त और वैयक्तिकृत स्वास्थ्य बीमा परामर्श प्रदान करने के लिए संघीय फ़ंड मिलते हैं, वे अपीलों के संबंध में सहायता कर सकते हैं।

यदि आपकी अपील अर्जेंट है - आपकी सेवाएँ बंद होने वाली हैं या आपको अस्पतालों, कुशल नर्सिंग इकाइयों, गृह स्वास्थ्य एजेंसियों, बिना-भर्ती-रोगी (आउटपेशेंट) पुनर्वास या आश्रम (होस्पाइस) देखभाल से छुट्टी दी जाने वाली है - तो आपको तेज़ अपील का अधिकार है। आपका प्रदाता आपको तेज़ अपील के अनुरोध का तरीका बताने वाला एक नोटिस देगा; अस्पतालों में, उसे "An Important Message from Medicare about Your Rights" (आपके अधिकारों के संबंध में मेडिकेयर की ओर से एक महत्वपूर्ण संदेश) और अन्य स्थानों पर उसे "Notice of Medicare Non-Coverage" (मेडिकेयर कवरेज-शून्यता का

नोटिस) कहा जाता है। यदि आपको यह पत्र न मिले, तो माँगें। तेज़ अपीलों के बारे में और जानकारी के लिए, मेडिकेयर की वेबसाइट https://www.medicare.gov/providers-services/claims-appeals-complaints/appeals/fast-appeals पर जाएँ।

प्र: मेडिगैप (Medigap) क्या है?

मेडिकेयर पूरक इंश्योरेंस (Medicare सप्लिमेंट इंश्योरेंस या मेडिगैप) एक अतिरिक्त बीमा है जिसे आप ओरिजिनल मेडिकेयर में अपनी जेब से होने वाले खर्चों के भुगतान में मदद के लिए निजी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से खरीद सकते हैं। (आप मेडिगैप तब तक नहीं खरीद सकते जब तक आपके पास भाग A और भाग B न हों।)

मेडिगैप प्लान अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होते हैं। कुछ राज्य एक प्रकार की मेडिगैप पॉलिसी प्रस्तुत करते हैं जिसका नाम मेडिकेयर सिलेक्ट (Medicare SELECT) है; यदि आप यह प्लान खरीदते हैं, तो आपको 12 माह के भीतर अपना विचार बदलकर कोई मानकीकृत मेडिगैप पॉलिसी लेने का अधिकार है।

प्र: मेडिगैप खरीदते समय मुझे क्या पता होना चाहिए?

मेडिगैप पर विचार करते समय, कुछ बीमा कंपनियों द्वारा उपयोग होने वाली गैर-कानूनी तिकड़मों से सावधान रहें। बीमा कंपनियाँ ऐसा नहीं कर सकती हैं:

- आप पर पॉलिसी खरीदने का दबाव डालना या झूठ बोलकर आपको कंपनियाँ बदलने पर राज़ी करना
- आपके पास पहले से पॉलिसी है यह जानते हुए भी आपको पॉलिसी बेचना, तब के सिवाय जब आप उन्हें लिखित में बताएँ कि आप अपनी मौजूदा पॉलिसी कैंसल करना चाहते हैं
- जब आप यह कहें कि आप ओरिजिनल मेडिकेयर बनाए रखते हुए एक मेडिगैप पॉलिसी खरीदना चाहते हैं तब भी आपको कोई मेडिकेयर एडवांटेज प्लान बेचना; यदि आप मेडिकेयर एडवांटेज खरीदते हैं, तो ओरिजिनल मेडिकेयर में से आपका नामांकन खत्म कर दिया जाएगा और आप मेडिगैप नहीं खरीद सकेंगे।

गैर-कानूनी परिपाटियों के बारे में और जानकारी के लिए, मेडिकेयर की वेबसाइट https://www.medicare.gov/health-drug-plans/medigap/ready-to-buy/how/illegal-practices पर

जाएँ।

प्र: क्या मुझे मेडिकेयर की संबद्ध लागतों के भुगतान में मदद मिल सकती है?

हाँ। मेडिकेयर सेविंग्स प्रोग्राम (Medicare Savings Program) और एक्स्ट्रा हेल्प ("Extra Help") ऐसे राज्य कार्यक्रम हैं जिन्हें सीमित आय और संसाधनों वाले लोगों को अन्य मेडिकेयर लागतों को संभालने में मदद देने के लिए तैयार किया गया है।

प्र: मेडिकेयर सेविंग्स प्रोग्राम (Medicare Savings Program) क्या है?

मेडिकेयर सेविंग्स प्रोग्राम एक राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संसाधन है जो सीमित आय और संसाधनों वाले लाभार्थियों की मदद करता है। निम्नलिखित चार कार्यक्रमों की पात्रता वार्षिक आधार पर निर्धारित आय और संसाधन सीमाओं पर आधारित होती है:

- योग्य मेडिकेयर लाभार्थी (क्वालिफ़ाइड मेडिकेयर बेनिफ़िशियरी, QMB) प्रोग्राम भाग A और भाग B प्रीमियमों, डिडक्टिबल, को-इंश्योरेंस और को-पेमेंट के लिए भुगतान करता है।
- निर्दिष्ट निम्न-आय मेडिकेयर लाभार्थी (स्पेसिफ़ाइड लो-इनकम मेडिकेयर बेनिफ़िशियरी, SLMB) प्रोग्राम भाग B प्रीमियमों के भुगतान में मदद देता है।
- योग्य व्यक्ति (क्वालिफ़ाइंग इंडिविज़ुअल) प्रोग्राम भाग B प्रीमियमों के भुगतान में मदद देता है।
- योग्य अशक्त और कामकाज़ी व्यक्ति (क्वालिफ़ाइड डिसेबल्ड एंड वर्किंग इंडिविज़ुअल) प्रोग्राम भाग A प्रीमियमों का भुगतान करता है।

अपनी पात्रता जाँचने और आवेदन करने के लिए, अपने राज्य की मेडिकएड एजेंसी से https://www.medicaid.gov/about-us/where-can-people-get-help-medicaid-chip#statemenu पर संपर्क करें।

प्र: एक्स्ट्रा हेल्प ("Extra Help") क्या है?

एक्स्ट्रा हेल्प एक प्रोग्राम है जो सीमित आय और संसाधनों वाले लोगों को मेडिकेयर भाग D_प्रीमियमों, डिडक्टिबल, को-इंश्योरेंस और प्रेस्क्रिप्शन दवाओं की कवरेज से संबद्ध अन्य लागतों के भुगतान में मदद देता है।

जो लोग संपूर्ण मेडिकएड कवरेज के पात्र हैं और जिन्हें किसी मेडिकेयर सेविंग्स प्रोग्राम से भाग B

प्रीमियमों के भुगतान में मदद मिलती है या सोशल सिक्यॉरिटी से संपूरक सुरक्षा आय (सप्लीमेंटल सिक्यॉरिटी इनकम) मिलती है, वे एक्स्ट्रा हेल्प में अपने-आप नामांकित कर दिए जाते हैं।

अपनी पात्रता जाँचने और आवेदन करने के लिए, https://www.medicaid.gov/about-us/where-can-people-get-help-medicaid-chip#statemenu पर जाएँ।

प्र: यदि मुझे मेडिकेयर के बारे में और कुछ पूछना हो तो मुझे क्या करना चाहिए?

मेडिकेयर की हेल्पलाइन को 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) पर कॉल करें और किसी प्रतिनिधि से बात करें। TTY यूज़र 1-877-486-2048 पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही, आपको उसकी वेबसाइट https://www.medicare.gov/talk-to-someone पर लाइव चैट विकल्प की लिंक भी मिल जाएगी।

प्र: यदि मुझे मेडिकएड के बारे में और कुछ पूछना हो तो मुझे क्या करना चाहिए?

अपने राज्य की मेडिकएड एजेंसी को कॉल करें; अपना स्थानीय ऑफ़िस ढूँढने के लिए, मेडिकएड की वेबसाइट https://www.medicaid.gov/about-us/where-can-people-get-help-medicaid-chip#statemenu पर जाएँ।

स्रोत: मेडिकेयर एवं मेडिकएड सेवाएँ केंद्र (सेंटर्स फ़ॉर मेडिकेयर एंड मेडिकएड सर्विसेज़), मेडिकेयर पक्षधरता केंद्र (सेंटर फ़ॉर मेडिकेयर एडवोकेसी), सामाजिक सुरक्षा प्रशासन (सोशल सिक्यॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन)।

किसी से बात करनी है?

हमारे जानकारी विशेषज्ञ आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपलब्ध हैं।

सोमवार से शुक्रवार, सुबह 7 बजे से रात 8 बजे (पूर्वी समयानुसार) तक टोल फ़्री नंबर 1-800-539-7309 पर कॉल करें।

या https://connect.paralysis.org/hi/send-us-your-question पर कॉल निर्धारित करें अथवा ऑनलाइन प्रश्न पूछें।

इस संदेश में निहित जानकारी आपको पक्षाघात और उसके प्रभावों के बारे में शिक्षित करने व सुविज्ञ बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इस संदेश में निहित किसी भी चीज़ का अर्थ चिकित्सीय निदान या उपचार के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए और न ही वह इसके लिए प्रयोग करने हेतु उद्दिष्ट है। इसका उपयोग आपके चिकित्सक या अन्य किसी योग्य स्वास्थ्य-देखभाल प्रदाता की सलाह के स्थान पर नहीं किया जाना चाहिए। यदि आपको स्वास्थ्य देखभाल संबंधी कोई प्रश्न पूछना हो तो कृपया शीघ्रता से अपने चिकित्सक या अन्य किसी योग्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता को फोन करें या उनसे मिलें। कोई भी नया उपचार, आहार या तंदुरुस्ती कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हमेशा अपने चिकित्सक या अन्य किसी योग्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से परामर्श करें। आपको कभी-भी इस संदेश में पढ़ी गई किसी चीज़ के कारण चिकित्सीय सलाह की अवहेलना नहीं करनी चाहिए अथवा उसे प्राप्त करने में विलंब नहीं करना चाहिए।

इस प्रकाशन को कुल $1,00,00,000 मूल्य के वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में सामुदायिक जीवन-यापन प्रशासन (एडमिनिस्ट्रेशन फ़ॉर कम्युनिटी लिविंग, ACL), अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवाएँ विभाग (यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज़, HHS) की ओर से सहायता मिलती है जिसका 100 प्रतिशत वित्तपोषण ACL/HHS द्वारा किया जाता है। विषय-वस्तुएँ रचियता(ओं) द्वारा रचित हैं और आवश्यक नहीं कि वे ACL/HHS, या अमेरिकी सरकार के आधिकारिक विचारों को या उनके द्वारा विषय-वस्तुओं के समर्थन को दर्शाती हों।